

|                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पणधारी                  |  | पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रतिपूर्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 6मास के लिए प्रति मास रु 1000/- का पारगमन भत्ता                                                                                                                                                           |
| उस भूमि पर कर्मचारी     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 6मास के लिए प्रति मास रु 1000/- का पारगमन भत्ता                                                                                                                                                           |
| अनुसूचित जनजातीय परिवार |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- समझौता मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रतिपूर्ति</li> <li>- उचित स्थान पर बराबर आकार एवं गुणवत्ता (जहां कहीं सम्भव हो) की भूमि। यह भूमि किसी लेन-देन लागतों, जैसाकि रजिस्ट्रेशन फीस, स्थानांतरण कर आदि से मुक्त उपलब्ध कराई जाएगी।</li> <li>- पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रतिपूर्ति</li> <li>- समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति</li> <li>- समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि की प्रतिपूर्ति</li> <li>- प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान। निपटान हो जाने तक भूमि का उपयोग करने का अधिकार</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- भूमि खरीद सहायता</li> <li>- पेड़ स्थानांतरण सहायता</li> <li>- कुशल बढ़ोतरी तथा आय पुनःस्थापन कार्यक्रम के लिए पात्र</li> </ul>                                     |
| संवेदनशील परिवार        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 वर्ष के लिए प्रतिमास रु 2000/- प्रति मास का पारगमन भत्ता</li> <li>- भूमि खरीद सहायता</li> <li>- कुशल बढ़ोतरी तथा आय पुनःस्थापन कार्यक्रम के लिए पात्र</li> </ul> |

\* गैर कानूनी उपयोगकर्ता भूमि की प्रतिपूर्ति का उनका अंश भूमिअधिग्रहण अधिकारी से सीधे ना लेकर भु स्वामी से लेंगे।

\*\* संवेदनशील परिवारों की पहचान की जाएगी तथा अनुसूचित जाति के परिवारों सहित प्रत्येक हानि वर्ग के अंतर्गत विशेष समर्थन दिया जाएगा।